राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – संजय कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 05/2018

मालाराम पुत्र भूराराम जाति गुर्जर उम्र .... साल निवासी टीलावाली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. संतोष पत्नी स्व. भगूताराम जाति चेजारा निवासी बसन्तविहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. कजोड़ पुत्र स्व. भगूताराम जाति चेजारा निवासी बसन्तविहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. श्यामलाल पुत्र स्व. भगूताराम जाति चेजारा निवासी बसन्तविहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. सरोज पुत्री स्व. भगूताराम जाति चेजारा निवासी बसन्तविहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. चिरंजीलाल पुत्र फूलचन्द जाति चेजारा निवासी बसन्तविहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. मोहनलाल पुत्र फूलचन्द जाति चेजारा निवासी बसन्तविहार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री हेमराज सिंह – प्रार्थी की ओर से
2. श्री गिरधारी लाल सैनी – अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 6 की ओर से

निर्णय **दिनांक 03–04–2018**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बांकोटी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 स्थित जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के हाल खाता संख्या 98 के हाल खसरा नंबर 266 रकबा 0.37 है. खसरा नंबर 267 रकबा 0.30 है., ख.नं. 268 रकबा 0.88 है., ख.नं. 269 रकबा 0.31 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.86 है. भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित भूमि में प्रार्थी का 1/3 [illegible] यत 4 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 1/3 हिसा एवं अप्रार्थी संख्या [illegible] 6 हिस्सा है और मौके पर सभी पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर [illegible] के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज [illegible] ने अपने 1/3 [illegible] की भूमि में पुख्ता मकान आदि बनाकर अपने परिवार सहित [illegible] आबाद है और अपने [illegible] हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के मन में बेईमानी आ गई है और अब अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 जो प्रार्थी की 1/3 हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जि. झुन्झुनूं (राज.)

भूमि है जिस पर वह पुख्ता मकानात बनाकर अपने परिवार सहित आबाद है की भूमि पर जबरन से कब्जा कर किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि को बेचान करने पर आमादा है और बाला–बाला किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि बेचान का ईकरारनामा भी लिख कर दे दिया है और अब अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर कब्जा कर किसी दुसरे व्यक्ति का कब्जा कराने पर आमादा है एवं धमकी दे रहे हैं कि प्रार्थी को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि पर से जबरन बेदखल करेंगे और कच्चा या पक्का निर्माण कार्य कर भूमि को खुर्द बुर्द करेंगे जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। संयुक्त रूप से दर्ज भूमि को अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 बिना विधिवत् खाता विभाजन करवाये किसी अजनबी व्यक्ति को भूमि को रहन, दान या बेचान आदि कर भूमि को खुर्द बुर्द कर देते हैं या कोई कच्चा या पक्का निर्माण करते हैं या प्रार्थी के कब्जा काश्त में बाधा कारित करतें हैं या मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बदलते हैं तो वादी की अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाके ग्राम बांकोटी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0 स्थित जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के हाल खाता संख्या 98 के हाल खसरा नंबर 266 रकबा 0.37 है., ख.नं. 267 रकबा 0.30 है., ख.नं. 268 रकबा 0.88 है., ख.नं. 269 रकबा 0.31 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.86 है. भूमि के प्रार्थी के 1/3 हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त में कोई बाधा कारित नहीं करें एवं जब तक विधिवत् खाता विभाजन ना हो तब तक उक्त भूमि को रहन, दान, बेचान आदि नहीं करें एवं कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करें तथा ना ही किसी अजनबी व्यक्ति को कब्जा आदि करावें। ऐसा ना स्वयं करें एवं ना ही किसी अन्य से करावे तथा अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी विलेख को तस्दीक नहीं करें ऐसा ना स्वयं करें ना ही अपने किसी अधिकारी या कर्मचारी से करावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया है कि वर्णित भूमि के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 का संयुक्त खातेदार काश्तकार होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थी खरीद शुदा संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने खातेदार शिवकुमार, नन्दलाल पिता परतुराम, मेवा, शकुन्तला, भगवती, सुमन पुत्रियां परतुराम, गिन्नी देवी पत्नी परतुराम हिस्सा 1/6, नेतराम परमेश्वर, केशर पिता माडुराम हिस्सा 3/20, कु. मन्जू झाल्ला पुत्रियां माडूराम हिस्सा 1/60 से क्रय की है और प्रार्थी के नाम का वर्तमान जमाबन्दी में नामांतकरण सं. 877 दिनांक 5.07.14 का नोट लगा हुआ है। प्रार्थी को कब्जा हम खातेदारान ने बाहमी बंटवारे के अनुसार ही दिया है। प्रार्थी ने वाद का आधार बनाने के लिए झूठे तथ्य दर्ज किये हैं जिनका कोई आधार नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बेचने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी को हम खातेदार अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 को पाबन्द करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में हम अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 को पाबन्द करवाता है तो अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी की ना होकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 की होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है व न ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है बल्कि उक्त दोनों ही बाते अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के पक्ष में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:41:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जि. झुन्झुनूं (राज.)

मैंने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया एवं ग्राम बांकोटी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0) की जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 के खाता सं. 98 का अवलोकन किया। प्रार्थी ने शिवकुमार नन्दलाल पि0 परतुराम मेवा शकुन्तला भगवती सुमन पुत्रियां परतुराम गिन्नी देवी पत्नी स्व. परतुराम हि. 1/6 नेतराम परमेश्वर केशर पि0 माडूराम हि. 3/20 हि.ब. मन्जू झाला पुत्रियां माडूराम हि. 1/60 हि.ब. से क्रय की है जिसका जमाबंदी में लगे नोट नामांतकरण सं. 877 दिनांक 05.07.2014 में मालाराम पुत्र भूराराम हि. 1/3 जाति गुर्जर नि0 टीलावाली दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण भी उक्त विवादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के खण्ड सं. 3 में स्वयं ने स्वीकार किया है कि उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं. 5 का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं. 6 का 1/6 हिस्सा है और मौके पर सभी पक्षकारान ने बाहमी बंटवारा कर रखा है और उसी बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं। रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में उसका कब्जा होने की प्रकल्पना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, की धारा 140 के अधीन मानी गई हैं और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को अपना कब्जा दावा दायरी के दिन साबित करना अपेक्षित होता है व प्रथम दृष्टया प्रकरण भी सिद्ध करना आवश्यक होता है जो प्रार्थी द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि दावा दायरी के दिन अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी जि. झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 14:21:31 IST
Reason: SelfAttested